[redacted] दि. 21.2.22 [redacted] हो।

15.02.22 आज पत्रावली पेश हुई। मूल दावा अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किया जा चुका है। अतः प्रार्थना पत्र 21.2 RT- Act को आगे चलाने का कोई औचित्य नहीं है। अतः प्रार्थना-पत्र इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। प्रार्थना पत्र मूल दावा के साथ संलग्न रहे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
बहरोड़ (अलवर) राज0